



प्रेस नोट 01, दिनांक 08.07.2024

थाना बेहटा मुजावर, जनपद उन्नाव

गोवध निवारण अधिनियम में एक अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बांगरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बेहटा मुजावर पुलिस द्वारा गोवध निवारण अधिनियम में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 06.06.2024 को थाना बेहटा मुजावर पर मु0अ0सं0 165/2024 धारा 3/5(क)/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11घ पशु क्रूरता अधिनियम बनाम 1.हिजबे अली पुत्र रहीस अहमद निवासी मोहल्ला रहमतनगर विलारी मुरादाबाद, 2. उक्त वाहन का चालक नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना व0उ0नि0 इन्द्रपास सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना व साक्ष्य संकलन की कार्यवाही के क्रम में मुकदमा उपरोक्त की घटना में अभियुक्तगण 1.भूरा पुत्र मसूआ निवासी तुमडिया पोस्ट जूठिया जिला रामपुर, 2.अकील पुत्र शकील निवासी चमरौआ थाना सहजाद नगर जिला रामपुर, 3.सुहेब पुत्र हनीफ निवासी चमरौआ थाना सहजाद नगर जिला रामपुर के नाम प्रकाश में आए। जिसमें अभियुक्त अकील पुत्र शकील निवासी चमरौआ थाना सहजाद नगर जिला रामपुर को आज दिनांक 08.07.2024 को ग्राम जोगीकोट के निकट आगरा एक्सप्रेस वे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

अकील पुत्र शकील निवासी चमरौआ थाना सहजाद नगर जिला रामपुर उम्र करीब 26 वर्ष

आपराधिक इतिहास

- 1.मु0अ0सं0 13/2017 धारा 11,3 पशु क्रूरता अधि0 थाना शहजादनगर जनपद रामपुर,
- 2.मु0अ0सं0 171/2019 धारा 3/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना अजीमनगर जनपद रामपुर,

- 3.मु0अ0सं0 97/2020 धारा 3/5(क)/8 गौवध निवारण अधिनियम व 307,420,429,467,468,471
भादवि थाना हाटा जनद कुशीनगर,
4.मु0अ0सं0 98/2020 धारा 25 आम्स एक्ट थाना हाटा जनपद कुशीनगर,
5.मु0अ0सं0 162/2020 धारा 3(1) यू0पी0 गैगस्टर अधि0 थाना हाटा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. व0उ0नि0 इन्द्रपाल सिंह
2. हे0का0 सुभाष चन्द्र,
3. हे0का0 राधेश्याम सर्विलांस सेल
4. का0 पिन्टू वर्मा





प्रेस नोट 02- दिनांक 08.07.2024

थाना सफीपुर , जनपद उन्नाव

युवती को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी तथा क्षेत्राधिकारी सफीपुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सफीपुर पुलिस द्वारा युवती को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 08.07.2024 को उ०नि० श्री सीताराम मय हमराह पुलिस फोर्स द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत सम्बन्धित मु०अ०सं० 175/24 धारा 363/366 भादवि में वांछित अभियुक्त रंजीत पुत्र भगवानदीन निवासी ग्राम लच्छीखेड़ा थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र करीब 18 वर्ष को खारजा मोड गहोली पुलिया के पास से गिरफ्तार कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का विवरण

रंजीत पुत्र भगवानदीन निवासी ग्राम लच्छीखेड़ा थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र 18 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ०नि० सीताराम
2. हे०का० अमर सिंह

